

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

2903

19

जब्त सं०

10861 dt 19/8/2019

जमीन का मालिक जगदीश प्रसाद एवं श्री अमरनाथ प्रसाद एवं अमरनाथ देवा

मेरी तरफ आवेदन किया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संव्यवहारों और अवधारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जावे। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

प्रमाणित की जाती है कि यह संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में सही में और उनसे सम्बन्धित दस्तावेजों में सन् 2005 से 19/8/2019 तक

यह संपत्ति की गयी और ऐसी तथ्यांशों के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता क्या Apex index II

कहा है अतः संपत्ति अवभार से मुक्त है।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	विवाद	सर्व	पूरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	गाँव - Sikondra/pur							
	P.S. - Dargapur							
	खाना No - 17							
	Tauri No - 5855							
	khata No - 279							
	Plot No - 624							
	Dist - Patna							
	Plot Area - 140 decimal							

1. आवेदक को अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. प्रमाण-पत्र को विशद भाषा में भर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वसतों की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. यदि कोई वसतों में वसतों की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

4. यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को खींचें उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का साथ नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

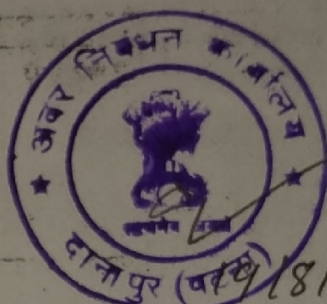
तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:

तारीख:



मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रांजेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-49 के अधीन जो व्यक्ति (वाहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रयत्नियों के माध्यम से अन्यथा उनके प्राधिकार के बिना ही निबंधित संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जख्त हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित कोस का भुगतान करने पर वाहियों और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूंकि उसके बाद बूँटे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा बूँटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक, Danapur

ज्ञाप संख्या

दिनांक

आवेदक श्री. राजदीप प्रसाद एवं श्री अमरनाथ प्रसाद

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा Bank of India, Birchand Patel Marg

Patna

का उनके पत्र संख्या दिनांक 17/8/19 के प्रसंग में आधारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

19/8/19

Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, inspection and copy

Misc token no. 10861 Serial no. 10861

Year Date 19/08/19

Received from

Following fees:

F (i) - 0

F (iii) - 0

G - 0

F (ii) - 0

F (iv) - 0

G(a) - 0

Total- 0 320/-

Registering Officer